भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 655

जिसका उत्तर 06 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है

कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया

655. डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री भोला सिंहः
श्री विनोद कुमार सोनकरः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में वाणिज्यिक कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया का आठवां चरण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वर्ष 2030 तक भूमिगत खदान से कोयला उत्पादन बढ़ाकर 100 मिलियन टन करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2025-26 तक कोयले का आयात रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) : जी, हां। वाणिज्यिक कोयला खानों की नीलामी का 8वां दौर दिनांक 15 नवंबर, 2023 को शुरू किया गया है, जिसमें पांच कोयला धारक राज्यों अर्थात् झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार से 39 कोयला ब्लॉकों की पेशकश की गई है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2024 है। नीलामी के लिए प्रस्तावित कोयला खानों का ब्यौरा **अनुबंध-क** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : जी, हां। वर्ष 2027-28 और उसके बाद तक भूमिगत खानों से 100 मि.ट. कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए एक भूमिगत (यूजी) विजन प्लान की परिकल्पना की गई है। कोयला कंपनियों द्वारा खानों की पहचान पहले ही की जा चुकी है जो 100 मि.ट. के मिशन को प्राप्त करने में योगदान देगी। इसके अलावा, पहले से मौजूद सतत खनिकों, एलडब्ल्यू

और एचडब्ल्यू को चरणबद्ध रूप से जोड़कर सतत खनिकों, लॉन्गवॉल (एलडब्ल्यू), हाईवॉल (एचडब्ल्यू) खनिकों, जहां संभव हो, का उपयोग करके अधिक से अधिक व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी (एमपीटी) शुरू करने की योजना बनाई गई है।

(ङ.) : कोयले के आयात से बचने के लिए उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:

i. उन मामलों में जहां एसीक्यू को या तो मानक आवश्यकता (गैर-तटीय) के 90% तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्रों) के 70% तक कम कर दिया गया था, में वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को मानक आवश्यकता के 100% तक बढ़ा दिया गया है। एसीक्यू में वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक घरेलू कोयले की आपूर्ति होगी, जिससे आयात निर्भरता कम हो जाएगी।

ii. शक्ति नीति के पैरा ख (viii) (क) के प्रावधानों के अंतर्गत, पावर एक्सचेंजों में किसी उत्पाद में उस लिंकेज के माध्यम से उत्पादित विद्युत की बिक्री हेतु अल्पावधि के लिए या दीप पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बोली प्रक्रिया द्वारा अल्पावधि के लिए कोयला लिंकेज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, वर्ष 2020 में शुरू की गई एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के साथ, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। शक्ति नीति के संशोधित प्रावधानों के तहत विद्युत संयंत्रों को अल्पावधि के लिए प्रस्तावित कोयले के साथ-साथ गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि में 30 वर्ष तक की वृद्धि से कोयला आयात प्रतिस्थापन की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है।

iii. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण विद्युत खरीद करार (पीपीए) आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के निर्णय से आयातों पर निर्भरता कम होगी।

iv. कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला कंपनियों और बंदरगाहों के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं। अब तक आईएमसी की नौ बैठकें हो चुकी हैं। आईएमसी के निर्देशों पर, कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डाटा प्रणाली विकसित की गई है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात को ट्रैक कर सके। कोयले की अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

****

अनुबंध-क

वाणिज्यिक नीलामी के 8वें दौर में पेश की गई कोयला खानों की सूची

क्र.सं.	कोयला खान का नाम	राज्य
1.	जगन्नाथपुर ए	पश्चिम बंगाल
2.	महानदी (संशोधित)	ओडिशा
3.	नया पतरापारा	ओडिशा
4.	राधिकापुर (पूर्व)	ओडिशा
5.	चेंदीपाडा-II (संशोधित)	ओडिशा
6.	अर्खापाल श्रीरामपुर का उत्तर (संशोधित)	ओडिशा
7.	मन्दाकिनी बी	ओडिशा
8.	कोसर डोंगरगाव	महाराष्ट्र
9.	मार्की-जारी-जमनी-अदकोली	महाराष्ट्र
10.	लातेहार	झारखंड
11.	नुआगांव तेलिसाही	ओडिशा
12.	ब्राह्मणी	ओडिशा
13.	कबितीर्थ	पश्चिम बंगाल
14.	कंटाइकोलिया	ओडिशा
15.	कोसला पश्चिम (पूर्वी भाग)	ओडिशा
16.	लक्ष्मीपुर उत्तर	बिहार
17.	मिर्जागांव उत्तर	बिहार
18.	मिर्जागांव दक्षिण	बिहार
19.	सालभद्र- गोमरपहाड़ी	पश्चिम बंगाल
20.	बरताप (संशोधित)	ओडिशा
21.	गावा (पूर्व)	झारखंड
22.	गोमरपहाड़ी सियुलीबाणा	झारखंड
23.	यैंसा	महाराष्ट्र
24.	धूलिआ उत्तर (संशोधित)	झारखंड
25.	करदाबहाल-ब्राह्मणबिल (संशोधित)	ओडिशा
26.	कोसला पश्चिम (पश्चिमी भाग) संशोधित	ओडिशा

27.	फुलझारी पूर्व और पश्चिम (संशोधित)	ओडिशा
28.	बिनोदपुर भबानीगंज	पश्चिम बंगाल
29.	कोसला पूर्व	ओडिशा
30.	डोब्बनपुर	पश्चिम बंगाल
31.	डिजी धर्मपुर उत्तर	झारखंड
32.	डिजी धर्मपुर साउथ	झारखंड
33.	मौसिंगा	झारखंड
34.	सुकली	महाराष्ट्र
35.	किलोनी का पश्चिम	महाराष्ट्र

वाणिज्यिक नीलामी के 7वें दौर के दूसरे प्रयास में पेश की गई कोयला खानों की सूची

क्र.सं.	**कोयला खान का नाम**	**राज्य**
36.	मछकटा (संशोधित)	ओडिशा
37.	बड़ीबहाल	ओडिशा
38.	कूडनली-लुब्री	ओडिशा
39.	सखीगोपाल-बी काकुर्ही	ओडिशा